प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'छियानवे'

प्रश्न सं. [क्र. 5036]

[23/3/2018]

परिशिष्ट - अ

कार्यालय कमिश्नर शहडोल संभाग-शहडोल (म0प्र0)

नवीन भवन- सर्किट हाउस के पास, रीवा रोड शहडोल, फोन- ... ई-मेल- ...@mp.gov.in

क्र./फा.- /18/विकास-06/शिकायत/2018/825 शहडोल, दिनांक 08/03/2018

प्रति,

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिष्द पाली
जिला-उमरिया म0प्र0

विषय- विधान सभा प्रश्न क्रमांक 5036 अतारांकित सुश्री मीना सिंह।

संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक 266/न.पा./2018 दिनांक 07.03.18

--00--

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। आपके द्वारा विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 5036 एन.एच. 78 के किनारे नाली निर्मण के संबंध में इस कार्यालय से जानकारी चाही गई है। इस कार्यालय में पाली से निर्माण संबंधी 02 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जो निम्नानुसार है-

1. श्री दशरथ प्रसाद जायसवाल पाली द्वारा इस कार्यालय में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसे मूलतः इस कार्यालय के पत्र क्र0 274 दिनांक 04/03/2017 द्वारा कलेक्टर उमरिया की ओर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर उमरिया से जानकारी प्राप्त की सकती है।

2. श्री रामधनी प्रधान उपाध्यक्ष नगरपालिका परिषद पाली, जिला उमरिया के शिकायत पर आपके द्वारा पत्र क्र0 122 दिनांक 24.01.18 द्वारा जांच की जाकर जिला परियोजना अधिकारी शहरी एवं विकास अभिकरण उमरिया को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।

सुलभ संदर्भ हेतु इस कार्या0 द्वारा दिनांक 4.3.17 को प्रेषित शिकायत आवक पंजी की छायाप्रति एवं श्री रामधनी द्वारा प्रस्तुत शिकायत की छायाप्रति आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(डी0के0पाण्डेय)
उपायुक्त(राजस्व)
शहडोल संभाग शहडोल

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Scanned by CamScanner

अता० प्र० क्र० 5036

परिशिष्ट - ब

कार्यालय नगर पालिका परिषद पाली

रामधनी प्रधान
उपाध्यक्ष
मोबा. 07697151766

जिला- उमरिया (म.प्र.)

निवास- सूखा
बिरसिंहपुर-पाली

दिनांक 24/11/2017

सेवा में,

श्रीमान् कमिश्नर महोदय,
शहडोल सम्भाग शहडोल (म०प्र०)

विषयः- मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पाटले के क्रियाकलापों की जाँच हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

संविनय निवेदन है नगरपालिका परिषद पाली के मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा किये जा रहे जन विरोधी कार्यों की जाँच कराकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

(1) नगर के वृद्धापेंशन, सामाजिकसुरक्षापेंशन के आवेदक 8–10 माह से मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास स्वीकृत पत्र लेकर घूम रहे हैं किन्तु उन्हें पेंशन नहीं मिल रही। हम लोग भी कई बार पेंशन देने के संबंध में चर्चा की किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। महोदय, इस पत्र के साथ पेंशन स्वीकृत पत्र की छायाप्रति संलग्न है, जिन्हें आज दिनांक तक पेंशन नहीं मिला। जाँच कराकर दोषियों पर कार्यवाही करें।

(2) मुख्य नगरपालिका अधिकारी महोदय दिनेश रैदास पिता–राजू रैदास (नगर पालिका का पम्प फिटर) उम्र लगभग 16 वर्ष के नाबालिग लड़के की नियुक्ति कर उसे वार्ड क्रमांक 01 का पम्प आपरेटर का कार्य दिया गया है और वह नाबालिग बालक एक वर्ष से पम्प आपरेटर के पद पर पदस्थ होकर कार्य कर रहा तथा वेतन ले रहा है। कौंसिल के सभी सदस्य के आपत्ति के बाद भी मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पाटले उसे कार्य से नहीं हटा रही हैं।

महोदय, जाँच कर उचित कार्यवाही करते हुए नाबालिग को मिले वेतन की राशि मुख्य नगरपालिका अधिकारी के वेतन से कटौती कर नगरपालिका परिषद पाली के कोष में जमा करें।

(3) महोदय, नगरपालिका में पदस्थ राजू चौधरी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी मिलकर घरेलू नल कनेक्शन का बंदरबांट कर रहे हैं। नगर में लगभग 300 घरेलू नल कनेक्शन मुख्य नगरपालिका अधिकारी महोदय राजू चौधरी पम्प फिटर के माध्यम से करवाई और जिनके घर में नल कनेक्शन लगा उससे पम्प फिटर राजू चौधरी 2500–3000 रु० लेकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी के साथ आपस में बांट लिये। रसीद तक नहीं कटी। रसीद 1950 रु० की कटती है। कई लोग रसीद के लिए कार्यालय नगरपालिका परिषद पाली का चक्कर लगाते

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Scanned by CamScanner

...र्यालय नगर पालिका परिषद् पाली

जिला- उमरिया (म.प्र.)

...घनी प्रधान
उपाध्यक्ष
मोबा. 07697151766

निवास– सुखा
बिरसिंहपुर–पाली

दिनांक....................

है। महोदय, लाखों रूपये घरेलू नल कनेक्शन के नाम पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं पम्प आपरेटर राजू चौधरी डकार गये।

महोदय, जाँच कराकर उचित कार्यवाही करें ताकि नगर की जनता लुटने से बचे। यही आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है।

(4) महोदय, नगरपालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में परिषद् एवं कौंसिल से प्रस्तावित स्थान पर सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण एवं हैण्ड पम्प खनन का कार्य न करके अन्य स्थानों पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा किया गया। प्रस्ताव की कापी टी0एस0, ए0एस0, एफ0एस0 और वर्क आर्डर देखने से सच्चाई सामने आ जायेगी।

(5) महोदय, नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 03 से वार्ड क्रमांक 04 (पहुंच मार्ग) का निर्माण सी0सी0 रोड अभी विगत 6 माह पूर्व हुआ है। किन्तु रोड कई जगह से फट चुकी है, क्रेक हो चुकी है जिसकी जानकारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी को देने के बाद भी कोई कार्यवाही न करते हुए ऊपर से ठेकेदार का बिल का भुगतान कर दिया गया। जाँच कर उचित कार्यवाही करें।

(6) महोदय, नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 02 में 1 गाए पूर्व नाली का निर्माण किया गया है किन्तु उक्त नाला से पानी का बहाव न होकर पानी वहीं पर ठहरा हुआ है इकट्ठा है जिससे पूरे मोहल्ले में गंदगी फैल रही है। संक्रामक बीमारी फैलने की आशंका है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी से इस संबंध में चर्चा करने पर कोई कार्यवाही नहीं करती हैं बल्कि अपने ए0सी0 आफिस में ठेकेदारों के साथ गप्पें लड़ाती रहती हैं।

महोदय, मुख्य नगरपालिका अधिकारी चूंकि महिला है और उनसे केवल हम निवेदन ही कर सकते है जो कि हमारे निवेदन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहीं हैं। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि यथास्थिति को जांच कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

भवदीय
रामघनी प्रधान
[illegible]

Scanned by CamScanner